भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1390
जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

भारत के विधि आयोग का सुदृढ़ीकरण

1390 डा. अजित माधवराव गोपछड़े :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय विधि आयोग की प्रभावशीलता, अनुसंधान क्षमता और समग्र कार्यकुशलता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उसकी संरचना, अधिदेश, कार्यप्रणाली तथा संस्थागत ढांचे की कोई व्यापक समीक्षा की है ; और

(ख) क्या सरकार ने भारत के विधि आयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए उपयुक्त वैश्विक उत्कृष्ट परिपाटियों को अपनाने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों के अनुसरण में बहामास, सेशेल्स, गुयाना तथा यूनाइटेड किंगडम के विधि आयोगों से संबंधित विधायी एवं संस्थागत ढाँचे की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : सरकार समय-समय पर वर्तमान और भविष्य की विधिक व्यवस्था पारिस्थितिकी तंत्र की अपेक्षाओं और प्रत्याशाओं का परीक्षण करने के उपरांत, सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत के विधि आयोग का गठन करती है। भारत के विधि आयोग को, उसके गठन के समय कार्यादेश के अनुसार, उसकी प्रभावशीलता, अनुसंधान क्षमता और समग्र कार्यकुशलता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न दायित्व सौंपे जाते हैं। विद्यमान विधि आयोग के कार्य-क्षेत्र में, अन्य बातों के साथ, अप्रचलित विधियों का पुनर्विलोकन/निरसन, निर्धनों को प्रभावित करने वाली विधियों का परीक्षण, राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के आलोक में विद्यमान विधियों

का परीक्षण तथा उनके उन्नयन और सुधार संबंधी उपायो का सुझाव देना और साथ ही, राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के कार्यान्वयन और संविधान की उद्देशिका में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक विधायन संबंधी सुझाव देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, आयोग को लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विद्यमान विधियों का परीक्षण कर उनमें संशोधनों का सुझाव देने और सामान्य महत्त्व के केंद्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण कर उन्हें सरल बनाने तथा उनमें विद्यमान विसंगतियों, अस्पष्टताओं और असमानताओं को दूर करने का भी दायित्व सौंपा गया है।

(ख) : विधि आयोग के कामकाज के संबंध में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथा को अपनाने के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इसके द्वारा प्राप्त सुझावों का संज्ञान लिया है और तेईसवें विधि आयोग को, इसके कार्यादेश के अंतर्गत, देश और विदेश में प्रतिष्ठित विधि विश्वविद्यालयों/विधि विद्यालयो और नीति अनुसंधान संस्थानों के साथ भागीदारी तंत्र विकसित करने हेतु सशक्त किया है।

****